न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 62/2009

मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम जाति ब्रामहण निवासी बमोरीकलां हाल मुकाम 5 डी 16 तलवण्डी कोटा

—वादी

बनाम

01. श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर जाति ब्राहमण निवासी बमोरीकलां हाल मुकाम बिलासरा तह0 खानपुर जिला झालावाड
02. कमला बाई पत्नि रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी बिलासरा तह0 खानपुर जिला झालावाड
03. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 व 188 आर0टी0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड
दायरा दिनांकः 05.03.2009 निर्णय दिनांक : 21.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बमोरीकलां में हाल खसरा नं0 370 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 378 रकबा 2.12 है0, खसरा नं0 1624 रकबा 1.61 है0, खसरा नं0 1625 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 2202 रकबा 0.47 है0 कुल किता 5 रकबा 4.69 है0 भूमि स्थित है। जिसके साबिक खसरा नं0 283 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं0 1207 रकबा 13 बीघा तथा खसरा नं0 64 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि बतौर खातेदार शामलाती रूप से श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर मुकट बिहारी पुत्र श्रीराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। केचमेंट द्वारा नामान्तकरण संख्या 545 से खसरा नं0 53 रकबा 0.50 है0, के स्थान पर हाल खसरा नं0 2202 रकबा 0.47 है0, कायम किया गया। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2061 में वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 बतौर खातेदार करीब 70 वर्ष से शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जुगलकिशोर के दो सगे भाई थें जिनके नाम कमशः देवीलाल व स्वंय जुगलकिशोर था इनके पिता श्रीराम के पिता मोतीलाल के पिता बद्रीलाल आपस में सगे भाई थे। मोतीलाल के एक पुत्र श्रीराम थें तथा श्रीराम के एक पुत्र मुकुट बिहारी स्वयं वादी है। लेकिन देवीलाल, जुगलकिशोर का भाई अविवाहित रहा तथा जुगलकिशोर ने प्रतिवादी कम 1 श्याम बाई से शादी की लेकिन इनके कोई जाइन्दा पुत्र व पुत्री पैदा नही होने के कारण जुगलकिशोर व प्रतिवादी कम 1 ने अपने जीवन काल में ही वादी के पिता श्रीराम को अपना पुत्र बना लिया उसी वक्त से ही श्रीराम जुगलकिशोर के वारिस बनकर रहे तथा जुगलकिशोर का अंतिम किया कम भी श्रीराम ने किया। क्योकि देवीलाल जो जुगलकिशोर के सगे बडे भाई थे का देहान्त जुगलकिशोर के बाद हुआ। जुगलकिशोर की मृत्यु के कुछ समय बाद वादी के पिता श्रीराम का देहान्त

[illegible] में ही हो गया था। वादी का पालन पोषण श्याम बाई ने किया तथा वादी के बालिग होने [illegible] प्रतिवादी नं0 1 श्याम बाई की अवैर सवेर करता चला आ रहा है। कुछ समय पूर्व प्रतिवादी नं0 1 [illegible] यह कहकर प्रतिवादी नं0 1 को ग्राम बिलासरा ले गया। और षडयंत्र पूर्वक जमीन [illegible] के उद्देश्य से श्याम बाई को बेवकूफ बनाकर अपनी पत्नि प्रतिवादी नं0 2 के नाम रजिस्ट्रेशन [illegible] रजिस्ट्रार के समक्ष तस्दीक करा लिया जिसका की उसको कोई कानूनी अधिकारात हासील नही [illegible] क्योंकि वादी करीब 70 वर्ष से उक्त भूमियां काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमियों के बेचान की आड में प्रतिवादी क्रम नं0 2 ने नामान्तकरण 779 से अपना नाम दर्ज करवा लिया है उक्त नामा0 की आड में प्रतिवादी नं0 3 वादग्रस्त भूमियों पर जबरदस्ती कब्जा कर खुर्द बुर्द करना चाहते है। जिसका प्रतिवादी नं0 3 को कोई अधिकारात हासिल नही है। क्योकि वादी को उक्त भूमियां विरासत से प्राप्त हुयी है। लेकिन प्रतिवादी नं0 2 अपने बैचान की आड में उक्त भूमियों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वाद पत्र में वर्णित समस्त भूमियो पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जावें। तथा प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रतिवादी नं0 2 को किया गया बेचान अवैध व शून्य घोषित किया जावें। व प्रतिवादी नं0 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वाद में वर्णित भूमि में वादी के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह गौड ने उपस्थित होकर अपना जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब दावा व काउन्टर क्लेम अनुसारः–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 आशिंक स्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 आंशिक स्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।
08. वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है।
09. वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है।
10. वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है।
11. वाद पत्र की मद नं0 11 अस्वीकार है।
12. वाद पत्र की मद नं0 12 व 13 कानूनी है।

[illegible] काउन्टर क्लेम:-

[illegible] वादी द्वारा सम्पूर्ण गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज करने योग्य है।

[illegible] प्रतिवादी नं0 1 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है, और सजरे अनुसार वादी का किसी प्रकार से कोई संबंध प्रतिवादी नं0 1 के परिवार से नही है।

रामचन्द्र

- देवीलाल कुंवारा फौत
- प्रताप बाई पुत्री लाऔलाद फौत
- जुगलकिशोर फौत
  - श्याम बाई पत्नि

उक्त सजरे अनुसार रामचन्द्र की चल–अचल सम्पत्ति की एक मात्र वारिस श्याम बाई होने के कारण उसके हिस्से की आराजी पर श्याम बाई प्रतिवादी नं0 1 का इंतकाल खुलना चाहिए था क्योकि प्रतिवादी नं0 1 मृतक देवीलाल की एक मात्र उत्तराधिकारी थी।

03. देवीलाल की मृत्यु के पश्चात वादी मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम पुत्र मोतीलाल ने अपने आप को देवीलाल का गोद पुत्र बताते हुए देवीलाल की हिस्से की आराजी पर अपना नाम सम्वत 2004 में दर्ज करा लिया।

04. प्रतिवादी नं0 1, वादी मुकट बिहारी के पिता श्रीराम से पांती व मुनाफा काश्त से आराजी को काश्त करवाती थी इसलिए वादी के पिता ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर देवीलाल की मृत्यु के पश्चात अपना नाम उसके हिस्से पर मुतबन्ना के रूप में दर्ज करा लिया जो गलत है।

05. प्रतिवादी नं0 1 ने अपने हिस्से की आराजी रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी नं0 2 को जर्ये रजिस्ट्री बेचान कर दी है। जिसको बेचने का प्रतिवादी नं0 1 को वैधानिक अधिकार प्राप्त है क्योकि प्रतिवादी नं0 1 देवीलाल और जुगलकिशोर की एक मात्र उत्तराधिकारी है।

अतः निवेदन है कि वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर वाद में अंकित आराजी में सहखातेदार मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम का नाम हटा कर प्रतिवादी नं0 1 श्याम बाई बेवा जुगल किशोर का नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र व जवाब दावा व काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात विरचित की गयीः–

01. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का तन्हा खातेदार वादी मुकट बिहारी होने का अधिकारी है। वादी
02. आया रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 22.02.2005 बहक प्रतिवादीया कम 2 वादी के विरूद्ध शून्य है। वादी
03. आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराने का अधिकारी है। वादी

अ. क्या वादी के पिता श्रीराम को प्रतिवादीया क्रम 1 के पति जुगलकिशोर व स्वयं प्रतिवादिया नें वादी

अपना गोद पुत्र बना लिया था।

अ. क्या बतौर खातेदार श्याम बाई ने जर्ये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 22.02.2005 अपने हिस्से की प्रतिवादीया

आराजी को प्रतिवादिया कमला बाई को बेचान कर दिया था।

अ. क्या जुगलकिशोर की मृत्यु के बाद श्याम बाई खातेदार बन गयी। और श्रीराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादीया

वादी मुकुट बिहारी खातेदार बन गया।

III. दादरसी

वकील वादी की साक्ष्य बन्द की गयी। वादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रदर्श नही कराया गया। वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा व काउन्टर क्लेम के समर्थन में डीडब्ल्यू 1 कमला बाई व डीडब्ल्यू 2 श्याम लाल के बयान लेखबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये। प्रदर्श–1 खाता बमोरीकलां सम्वत 2004–2007 खातेदार श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर व श्रीराम मुतबन्ना बेटा देवीलाल बाट बराबार। प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2053–2056 ग्राम बमोरीकलां। प्रदर्श– 3 इंतकाल नं0 779 दिनांक 09.03.2005। प्रदर्श–4 हाल जमाबंदी बमोरीकलां के खसरा नं0 का मिलान क्षेत्रफल। प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत 2061–64 बमोरीकलां खातेदार श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर, मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम हिस्स बाट बराबर। प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत 2030–32 बमोरीकलां खातेदार श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर, मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम हिस्स बाट बराबर। प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत 2026–29 बमोरीकलां खातेदार श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर, मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम हिस्स बाट बराबर। प्रदर्श–8 जमाबंदी सम्वत 2022–25 बमोरीकलां खातेदार श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर, मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम हिस्स बाट बराबर। प्रदर्श–9 जमाबंदी सम्वत 2018–21 बमोरीकलां खातेदार श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर, मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम हिस्स बाट बराबर। प्रदर्श–10 हाल जमाबंदी ग्राम बमोरीकलां खातेदार मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम 1/2 कमला बाई पत्नि राम प्रताप हिस्सा 1/2।

वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गयी सम्पूर्ण प्रदर्श दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली को ध्यान पूर्वक पढा गया। न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से तनकी अनुसार निर्णय किया जाता है।

तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है इन दोनो तनकीयों को साबित करने का भार वादी पर है।

तनकी नं0 1 व 2:– वादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गयी है और ना ही कोई दस्तावेज पेश किया है जबकि वकील प्रतिवादी का दौराने बहस कथन रहा है कि ग्राम बमोरीकलां के खाते में सम्वत 2004–2007 प्रदर्श–1 में श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर व श्रीराम मुतबन्ना बेटा श्रीराम दर्ज हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि श्याम बाई सम्वत 2004 में ही 1/2 हिस्से की खातेदार रही है। यदि श्रीराम जुगलकिशोर का

[illegible] जुगलकिशोर की मृत्यु के पश्चात श्याम बाई के साथ श्रीराम का नाम आता जो नही है। गवाह ने भी कथन किया कि प्रदर्श 2, 5, 6, 7, 8, 9 दस्तावेज में खातेदार श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम है। इससे स्पष्ट है कि 1/2 हिस्से की सहखातेदार प्रतिवादिया कम 1 श्याम नही है वादी के पिता गोद गये थे इसका कोई प्रमाण व दस्तावेज नही है। डीडब्ल्यू कमला बाई ने भी अपने उक्त दावा व काउन्टर क्लेम को समर्थन किया है। वादी ने बेचान नामा दिनांक 22.02.2005 ना तो खारिज किया है और नही इसको खण्डन करने का प्रयास किया है वकील प्रतिवादी ने बहस में बताया कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज जिसको सक्षम न्यायालय शून्य घोषित ना करदे तब तक उसकी प्रमाणिकता पर संदेह नही किया जा सकता। मात्र वाद पत्र में लिख देने से बेचान नामा दिनांक 22.02.2005 शून्य नही हो जाता है न्यायालय के मत में वादी उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 1 व तनकी नं0 2 को साबित नही कर पाया है। अतः तनकी नं0 1 व 2 को वादी के विरूद्ध प्रतिवादीयागण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकी नं0 3 व तनकी नं0 4 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है इनको साबित करने का भार वादी पर था।

तनकी नं0 3 व 4:– वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि सम्वत 2004 से लेकर सम्वत 2061–64 तक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर व मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम दर्ज हो रहा है जो कि शामलाती आराजी है। 1/2 हिस्से में वादी व 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण है। आज भी आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 में मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम 1/2 व कमला पत्नि रामप्रताप हिस्सा 1/2 में दर्ज हो रही है। एवं अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। शामलाती खाते की आराजी में एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता। श्री रामजी, श्याम बाई व उनके पति जुगलकिशोर ने गोद लिया हो ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य नही है। और राजस्व रेकार्ड भी नही है। तनकी नं0 3 व 4 का निर्णय वादी के विरूद्ध प्रतिवादीयागण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 5 व 6:– इन दोनो तनकीयों को प्रतिवादियागण द्वारा साबित किया जाना है। तथा दोनो तनकीयों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस बताया कि सम्वत 2004–2061 तक श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर ग्राम बमोरीकलां की आराजी प्रदर्श–2 लगायत प्रदर्श–9 के अनुसार 1/2 हिस्से की सहखातेदार है। 1/2 हिस्से की मालिक व स्वामिनी है। तथा अपने हिस्से की आराजी को उपयोग व उपभोग करने को स्वतंत्र है। सहखातेदार की हैसियत से प्रतिवादिया कम 1 ने दिनांक 22.02.2005 को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान अपने हिस्से का बेचान कर दिया जिसके आधार पर नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रतिवादिया कम 2 के पक्ष में इंतकाल नं0 779 बमोरीकलां तस्दीक किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादिया कम 1 ने अपने हिस्से 1/2 आराजी को रजिस्टर्ड बेचान प्रतिवादिया कम 2 के पक्ष में कर दिया है। जिसकी पुष्टि प्रदर्श 10 हाल जमाबंदी ग्राम बमोरीकलां सम्वत 2073–76 से

[illegible] श्याम बाई के स्थान पर 1/2 हिस्से पर कमला बाई पत्नि रामप्रताप प्रवितादीया कम 2 [illegible] जा रहा है। जैसा कि उपरोक्त विवेचन पहले ही किया जा चुका है कि सम्वत 2004--2061 श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर भी खातेदार थें और श्रीराम की मृत्यु होने के बाद उसके हिस्से 1/2 पर मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। जिसकी पुष्टि राजस्व रेकार्ड से हो रही है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार श्याम बाई बेवा जुगलकिशोर 1/2 हिस्से की व 1/2 हिस्से का खातेदार मुकुट बिहारी पुत्र श्रीराम है। ऐसी स्थिति में किसी भी सहखातेदार को सम्पूर्ण आराजी का तन्हा खातेदार घोषित नही किया जा सकता जबकि ऐसी कोई साक्ष्य नही है अतः तनकी नं0 5 व 6 का निर्णय वादी के विरूद्ध व प्रतिवादियागण के पक्ष में किया जाता है।

अनुतोष:– उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीया कम 1 खारिज किया जाता है। **हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 430 ग्राम बमोरीकलां में दर्ज सहखातेदार मुकुटबिहारी पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/2 सा0 देह व कमला बाई पत्नि रामप्रताप हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण निवासी बिलासरा तह0 खानपुर खातेदार भूमि कुल किता 5 रकबा 4.69 है0 यथावत रखे जाते है।** इन्हे अपने–अपने हिस्से पर स्वतंत्र रूप से सम्पूर्ण अधिकार होगें। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी बनायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाय